न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, सहारनपुर।

राज्य बनाम ललित कुमार आदि।

मु0अ0सं0 107/2026
धारा 316(2), 212(ए), 317(2), 3(5) बी0एन0एस0
थाना–गागलहेडी, सहारनपुर

27–04–2026

प्रार्थी सोम शर्मा की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमे का वादी है प्रार्थी के कार चालक द्वारा थाना हाजा पर अपने कथित लूट की सूचना दी गयी थी। अतः थाना हाजा से रिपोर्ट तलब कर थाना हाजा के द्वारा बरामद की गयी धनराशि अंकन 10,50,000/– रूपये प्रार्थी के हक में रिलीज किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

थाना हाजा की आख्यानुसार थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2026 धारा 316(2), 212(ए), 317(2), 3(5) बी0एन0एस0 से संबंधित धनराशि 10,50,000/– रूपये थाना हाजा पर दाखिल है।

सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों व थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया गया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी से लूट की हुयी वारदात में थाना पुलिस द्वारा 10,50,000/– रूपये बरामद कर लिये गये है, जो थाना हाजा पर दाखिल है। प्रार्थी उक्त रूपयों का मालिक है तथा अपने रूपये अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहता है। उक्त रूपयों की सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मामलें के विचारण में समय लगने की सम्भावना है व इस अन्तराल में सम्बन्धित रूपये थाने पर निरूद्ध रहने से राजस्व की हानि होने व उनके जीर्णक्षीण होने की प्रबल सम्भावना है।

अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सुन्दरलाल अम्बा लाल देसाई ए0आई0 आर0 2003 सुप्रीम कोर्ट 638** के प्रकाश में प्रश्नगत 10,50,000/– **रुपये (दस लाख पचास हज़ार)** प्रार्थी की सुपुदर्गी में दिये जाने के पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **स्वीकार किया जाता है।**

मुकदमा अपराध संख्या 107/2026 धारा 316(2), 212(ए), 317(2), 3(5) बी0एन0एस0 थाना गागलहेडी सहारनपुर से सम्बन्धित आवेदक सोम शर्मा के रूपये मुबलिग 10,50,000/– रुपये (दस लाख पचास हजार) आवेदक की सुपुदर्गी में **10,50,000 रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र** तथा समान धनराशि का **एक जमानती** दाखिल करने एवं इस आशय की अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर कि यदि भविष्य में उक्त रूपयों के संबंध में अन्य किसी व्यक्ति द्वारा क्लेम किया जाता है तो प्रार्थी उक्त रूपयों के संबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित किया जायेगा, उसका पालन करेगा, दाखिल करने पर प्रार्थी की सुपुदर्गी में दिये जाये।

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रूपयों को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने से पूर्व प्रत्येक नोट की दोनों पुश्तों की रंगीन फोटो प्रतियॉ प्रार्थी के खर्चे पर करायेंगे तथा प्रत्येक फोटोप्रति पर प्रमाणित का पृष्ठांकन कर, वह स्वंय हस्ताक्षर करेंगे तथा प्रार्थी के हस्ताक्षर भी करायेंगे एवम् सुपुर्द किये गये नोटों का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए, पंचनामा तैयार करेंगें।

इस आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ संबंधित थानाध्यक्ष को प्रेषित की जाये।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय,
जनपद सहारनपुर